न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 110/2017
GCMS No.- : 2017/00225

–: वादीगण :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

1. ताराचंद पुत्र मदनलाल
2. मनोज पुत्र अमरचंद जाति जैन
निवासी निमाज तहसील जैतारण
जिला ब्यावर (राज.)।

1. हापु पुत्र धूला के का.मु.
 1/1 पोकर पुत्र हापु
 1/2 रामा पुत्र हापु
 1/3 भैरा पुत्र हापु
 1/4 सीता पुत्र हापु
 1/5 सुगनाई पुत्र हापु
2. नारायण पुत्र पुका
3. किन्या पुत्री पुका
4. पुष्पा पुत्री पुका
5. मूली पत्नी घेवर
6. रिदा पुत्र घेवर
7. चन्दा पुत्र धूला
8. मांगु पुत्र धूला फौत के का.मु.
 8/1 कालु पुत्र मांगु
 8/2 कैलाश पुत्र मांगु
 8/3 इन्द्रा पुत्री मांगु
 8/4 सुन्दरी पत्नी मांगु
9. नोरतमल पुत्र बचनाराम
10. मांगीलाल पुत्र लाबुराम
11. सोहनलाल पुत्र लाबुराम
12. चम्पालाल पुत्र लाबुराम
13. केली पुत्र लाबुराम
14. बाबुलाल पुत्र भीयाराम सभी
 जातिया कुम्हार (कुमावत)
 साकिन–निमाज बेरा भादवा,
 तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर
15. श्रीमान सक्षम प्राधिकारी (भूमि
 एवं उपखण्ड अधिकारी जैतारण
16. श्रीमान तहसीलदार एवं
 भूमिधारी राजस्थान जैतारण

दावा बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा (मेण्डेटरी एवं प्रोहिबिटरी)अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू: 07/10/2020

उपस्थितः. 1. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, वादीगण।

–:: निर्णय ::– दिनाँकः– 20/06/2024

वकील मय वादीगण ने राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा समौखी पटवार हल्का

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

मोहराई, तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर राज0 में खसरा नम्बर 83 रकबा 16–15 बीघा किस्म चाही दोयम की भूमि आई हुई है तथा नजरी नक्शे में वर्णितानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से माफिक काबिज एवं काश्त करते है तथा मौके पर तारबन्दी, पाला, मांठे की हुई है तथा उसी अनुसार पक्षकारान् अपने अपने हिस्से की भूमि का उपयोग–उपभोग करते है। उपरोक्त खसरा नम्बरान् की सम्पूर्ण भूमि का 1/4 हिस्सा वादीगण ने जरिये बेचान रजिस्ट्री दिनांक 18/10/2007 को श्रीमती सायरकंवर पत्नी भूरसिंह जी जाति राजपुरोहित निवासी करमावास, तहसील–रायपुर जिला–ब्यावर राज0 से खरीद की। तब से लेकर आज दिन तक वादीगण उक्त भूमि पर बिना रोकटोक शांतिपूर्ण काबिज होकर काश्त करते है तथा राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज हो गया है तथा वादीगण द्वारा उक्त खरीद सुदा भूमि के बेचान रजिस्ट्री के अनुसार निम्न पडौस है :– पूर्व में – बाबु कुमावत का खेत, पश्चिम में रास्ता, उत्तर में नौरत जी का खेत दक्षिण मे निमाज से बर जाने वाली डामर सड़क है। इन पडौसो के बीच वादीगण की कृषि भूमि स्थित है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि का पक्षकारान् करीब 50 वर्ष से मनागना बंटवाड़ा करके एवं अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते है। परन्तु राजस्व रेकर्ड नक्शा लट्ठा में खसरा नम्बर 83 का एक चक है तथा उसमें पक्षकारान् के हिस्से अलग–अलग तरमीम नहीं है इसलिए पक्षकारान् अपनी भूमि का बंटवाडा बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के करवाना चाहते है तथा अपने हिस्से को नक्शा लट्ठा में पृथक से इन्द्राज करवाना चाहते है ताकि मौके पर पक्षकारान् मे कोई विवाद पैदा न हो। उपरोक्त खसरा नम्बर 83 रकबा 16–15 बीघा भूमि के दक्षिणी तरफ डामर सडक एन0एच0112 निमाज से बर पुरानी डामर सडक स्थित है तथा वादीगण इस सड़क के उत्तरी दिशा में काबिज है तथा वादीगण के पीछे उत्तरी दिशा में भी इसी खसरा नम्बर 83 की भूमि स्थित है जिसमे प्रतिवादीगण काबिज है। राजस्थान सरकार के आदेश कमांक/एनएच/112 के तहत उपरोक्त खसरा नम्बर 83 के दक्षिर्णी तरफ आई हुई डामर सड़क एन एच 112 निमाज समौखी–बर को राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु फोरलेन में तब्दील करने हेतु इस खसरा की भूमि का कुछ हिस्सा अवाप्त किया गया है परन्तु मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि में से भी अवाप्त की गई है परन्तु उसमें वादीगण की भूमि का हिस्सा प्रतिवादीगण की भूमि के हिस्से से अधिक भूमि अवाप्त हुई है जिससे नजरी नक्शे में मटीया रंग से दर्शित की हुई है परन्तु उक्त खसरा नम्बर 83 का रकबा 16–15 बीघा का बड़ा होने के कारण एवं पक्षकारान् के हिस्से नक्शा लट्टा में इन्द्राज नहीं होने के कारण वादीगण के हिस्से की अवाप्त सुदा भूमि की मुआवजा राशि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वर्णित सभी खातेदार के नाम प्रतिवादी संख्या 15 श्रीमान् सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी जी जैतारण के कार्यालय में बराबर मात्रा में राशि के चैक तैयार हुए है परन्तु मौके पर प्रतिवादीगण की भूमि कम व वादीगण की भूमि अधिक अवाप्त की गयी है इसलिए वादीगण को प्रतिवादीगण से भूमि अवाप्ति की राशि

(श्यामसुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

अधिक मिलनी चाहिए। इस हेतु पटवारी/आर आई से मौके पर अवाप्त सुदा भूमि की पेमाईश करवाई जाना न्यायतन आवश्यक है ताकि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की अवाप्त सुदा भूमि के अनुपात मे अवाप्त राशि का भुगतान वादीगण को किया जा सके और यदि बिना कानूनन बंटवाडा करवाये व नक्शा लट्ठा में वादीगण अपने हिस्से तरमीम करवाये बगैर प्रतिवादीगण को अवाप्त सुदा भूमि की राशि प्रदान कर दी गयी तथा वादीगण की भूमि अवाप्ती की राशि प्रतिवादीगण के द्वारा प्राप्त कर ली गयी तो वादीगण को असीम हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति रूपयों में नही आंकी जा सकेगी इसलिए उक्त भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् बंटवाडा करवाकर एवं वादीगण का हिस्सा नक्शा लट्ठा में तरमीम करवाने तक भूमि अवाप्ति की राशि प्रतिवादीगण को देने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोकावे व प्रतिवादीगण को भुगतान की जा रही भूमि अवाप्ति की अधिक राशि को सही अनुपात मे बंटवाडा कर वादीगण को दिलायी जावें इस हेतु पटवारी/आर आई द्वारा भूमि अवाप्त बाबत् मौके पर पेमाईश कर मौका रिपोर्ट तलब फरमायी जाना न्यायतन आवश्यक है। वादीगण की हिस्से की अवाप्त सुदा भूमि की राशि का नोटिस प्रतिवादीगण को मिलने पर दिनांक 10/05/2017 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को यह ऐलानिया धमकी दी कि हम तुम्हारे हिस्से की भूमि जो अवाप्त की जा रही है उसकी राशि भी हम (प्रतिवादीगण) प्राप्त करके ही रहेगें। यदि प्रतिवादीगण ने वादीगण की भूमि अवाप्ति राशि का भुगतान बदनियती एवं धोखे से प्राप्त कर लिया तो वादीगण को असीम हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति रूपयों में नही आंकी जा सकेगी इसलिए यह दावा बंटवाडा, स्थाई निषेधाज्ञा (मेण्डेटरी एवं प्रोहिबिटरी) व भूमि अवाप्ति राशि वादीगण को सही अनुपात में दिलाने एवं प्रतिवादीगण के नाम से गलत बनी भूमि अवाप्ति की अधिक राशि का चौक वादपत्र के अंतिम निस्तारण तक ज़रिये स्थाई निषेधाज्ञा के रूकवाने हेतु वादपत्र श्रीमानजी की सेवामें पेश है। प्रतिवादी संख्या 15 व 16 राजकीय अधिकारी है जिनके विरूद्ध वादपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु वादपत्र अति आवश्यक प्रकृति का होने से तथा नोटिस देने में समय लगेगा तब तक वादीगण का वादपत्र करने का मकसद ही विफल हो जायेगा इसलिए बिना नोटिस दिये ही वादपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत् धारा 80 (2) सीपीसी का प्रार्थनापत्र वादपत्र के साथ संलग्न है। बिनाय दावा वादीगण की हिस्से की अवाप्त सुदा भूमि की राशि का नोटिस प्रतिवादीगण को मिलने पर दिनांक 10/05/2017 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को यह ऐलानिया धमकी दी कि हम तुम्हारे हिस्से की भूमि जो अवाप्त की जा रही है उसकी राशि का चैक बनकर हम (प्रतिवादीगण) के नाम तैयार हो गये है तथा उनमे वर्णित राशि को प्राप्त करके ही रहेगें तब बमुकाम समौखी, तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर राज0 मे उत्पन्न हुआ जो श्रीमान् के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार मे होने से अन्दर म्याद वादपत्र पेश है।

वादीगण का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन वास्ते जवाब तलब किया गया। प्रतिवादीगण को बार बार आवाजें दिलाई गई,

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

बावजूद सम्मन् सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। बहस वकील वादी की सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद–पत्र, शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। जमाबन्दी सरहद मौजा ग्राम समौखी सम्वत् 2072–2075 का अवलोकन किया गया। जिसमें वादीगण बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, खसरा नम्बर 83 में वादीगण के हक–हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा समौखी पटवार हल्का मोहराई, तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर राज0 में खसरा नम्बर 83 रकबा 16–15 बीघा कृषि भूमि जो राजस्व रेकर्ड में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग–अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी/नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2022/1141 दिनांक 05.12.2022 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/23/1716 दिनांक 20/06/2023 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की जिसे शा0मि0 की गई।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। बहस के दौरान वकील उभयपक्ष ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआं की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त शामलाती अविभाजित कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा समौखी पटवार हल्का मोहराई, तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर राज0 में खसरा नम्बर 83 रकबा 16–15 बीघा कृषि भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	ताराचंद पुत्र मदनलाल हिस्सा 1/2 मनोज पुत्र अमरचंद हिस्सा 1/2 जाति जैन सा0 देह खातेदार	83/2	0.5423	चाही दोयम	1.90
2.	केलीदेवी पत्नी लाबूराम हिस्सा 1/18 (फौत के कायम मुकाम) चम्पालाल पुत्र लाबूराम हिस्सा 1/90, मांगीलाल पुत्र लाबूराम हिस्सा 1/90, नाथी पुत्री लाबूराम हिस्सा 1/90, लीला पुत्री लाबूराम हिस्सा 1/90, पिन्टू पुत्र सोहनलाल हिस्सा 1/270, हंसराज पुत्र सोहनलाल हिस्सा 1/270, कान्ता पुत्री सोहनलाल हिस्सा 1/270, किन्या देवी पुत्र पुकाराम हिस्सा 1/270, चन्द्रा पुत्र धूला हिस्सा 2/15, चम्पालाल पुत्र लाबूराम हिस्सा 1/18, पुष्पा पुत्री पुकाराम हिस्सा 1/270, पिंकी पुत्री नोरतमल हिस्सा 1/18, पोकरराम पुत्र हापुराम हिस्सा 1/180, फूलकी देवी पत्नी नौरतमल हिस्सा 1/18, बाबुलाल पुत्र भींयाराम हिस्सा 2/9, भेराराम पुत्र हापुराम हिस्सा 7/540, मूली पत्नी घेवर हिस्सा 1/90 महेन्द्रकुमार पत्र नोरतमल हिस्सा 1/18, मांगीलाल पुत्र लाबूराम हिस्सा 1/18, रेखा पुत्री नोरतमल हिस्सा 1/18, रामलाल पुत्र हापूराम हिस्सा 7/540, रीदा पुत्र घेवर हिस्सा 1/90, नाथुराम पुत्र हापुराम (फौत) के कायम मुकाम महेन्द्र पुत्र नाथुराम हिस्सा 1/720, मुकेश पुत्र नाथूराम हिस्सा 1/720, किशन पुत्र नाथुराम 1/720, कमलीदेवी पत्नी नाथुराम हिस्सा 1/720, मांगू पुत्र धूला (फौत के कायम मुकाम कालूराम पुत्र हिस्सा 1/30, देवाराम पुत्र मांगू हिस्सा 1/30, रूकमा पुत्री मांगू हिस्सा 1/30, सुन्दरी पत्नी मांगू हिस्सा 1/30, सोहनलाल पुत्र लाबूराम के कायम मुकाम पिन्टू पुत्र सोहनलाल हिस्सा 1/54, हंसराज पुत्र सोहनलाल हिस्सा 1/54, कान्ता पुत्री सोहनलाल हिस्सा 1/54 कौम कुम्हार सा0 देह खातेदार रहन :- सोहनलाल पुत्र लाबूराम, मांगू पुत्र धूला के वारिसान का हिस्सा आर.एम.जी.बी. शाखा निमाज में मुर्त हीन व केलीदेवी पत्नी लाबूराम के वारिसान का हिस्सा आर.एम.जी.बी. शाखा निमाज एवं चम्पालाल पुत्र लाबूराम व मांगीलाल पुत्र लाबूराम का हिस्सा आर.एम.जी.बी. निमाज	83	1.6268	चाही दोयम	5.69

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–ब्यावर)

निर्णय आज दिनाँक **20/06/2024** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–ब्यावर)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

ज अदालतः– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

ईजलास :– श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०

–: वादीगण :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

. ताराचंद पुत्र मदनलाल
. मनोज पुत्र अमरचंद जाति जैन
निवासी निमाज तहसील जैतारण
जिला ब्यावर (राज.)।

1. हापु पुत्र धूला के का.मु.
   1/1 पोकर पुत्र हापु
   1/2 रामा पुत्र हापु
   1/3 भैरा पुत्र हापु
   1/4 सीता पुत्र हापु
   1/5 सुगनाई पुत्र हापु
2. नारायण पुत्र पुका
3. किन्या पुत्री पुका
4. पुष्पा पुत्री पुका
5. मूली पत्नी घेंवर
6. रिदा पुत्र घेंवर
7. चन्दा पुत्र धूला
8. मांगु पुत्र धूला फौत के का.मु.
   8/1 कालु पुत्र मांगु
   8/2 कैलाश पुत्र मांगु
   8/3 इन्द्रा पुत्री मांगु
   8/4 सुन्दरी पत्नी मांगु
9. नोरतमल पुत्र बचनाराम
10. मांगीलाल पुत्र लाबुराम
11. सोहनलाल पुत्र लाबुराम
12. चम्पालाल पुत्र लाबुराम
13. केली पुत्र लाबुराम
14. बाबुराम पुत्र भीयाराम सभी जातिया कुम्हार (कुमावत) निमाज बेरा भादवा तहसील जैतारण जिला ब्यावर
15. सक्षम प्राधिकारी (भूमि एवं उपखण्ड अधिकारी जैतारण
16. तहसीलदार जैतारण

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0:– 110/2017
डिक्री दिनाँक : 20.06.2024

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, वादीगण। मिनजानिब मुद्धई तथा मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त शामलाती अविभाजित कब्जे काश्त की कृषि भूमि अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त शामलाती अविभाजित कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा समीखी पटवार हल्का मोहराई, तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर राज0 में

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

खसरा नम्बर 83 रकबा 16-15 बीघा कृषि भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रुप से किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	ताराचंद पुत्र मदनलाल हिस्सा 1/2 मनोज पुत्र अमरचंद हिस्सा 1/2 जाति जैन सा0 देह खातेदार	83/2	0.5423	चाही दोयम	1.90
2.	केलीदेवी पत्नी लाबूराम हिस्सा 1/18 (फौत के कायम मुकाम) चम्पालाल पुत्र लाबूराम हिस्सा 1/90, मांगीलाल पुत्र लाबूराम हिस्सा 1/90, नाथी पुत्री लाबूराम हिस्सा 1/90, लीला पुत्री लाबूराम हिस्सा 1/90, पिन्टू पुत्र सोहनलाल हिस्सा 1/270, हंसराज पुत्र सोहनलाल हिस्सा 1/270, कान्ता पुत्री सोहनलाल हिस्सा 1/270, किन्या देवी पुत्र पुकाराम हिस्सा 1/270, चन्द्रा पुत्र धूला हिस्सा 2/15, चम्पालाल पुत्र लाबूराम हिस्सा 1/18, पुष्पा पुत्री पुकाराम हिस्सा 1/270, पिंकी पुत्री नोरतमल हिस्सा 1/18, पोकरराम पुत्र हापुराम हिस्सा 1/180, फूलकी देवी पत्नी नौरतमल हिस्सा 1/18, बाबुलाल पुत्र भींयाराम हिस्सा 2/9, भेराराम पुत्र हापुराम हिस्सा 7/540, मूली पत्नी घेवर हिस्सा 1/90 महेन्द्रकुमार पत्र नोरतमल हिस्सा 1/18, मांगीलाल पुत्र लाबूराम हिस्सा 1/18, रेखा पुत्री नोरतमल हिस्सा 1/18, रामलाल पुत्र हापूराम हिस्सा 7/540, रीदा पुत्र घेवर हिस्सा 1/90, नाथुराम पुत्र हापुराम (फौत) के कायम मुकाम महेन्द्र पुत्र नाथुराम हिस्सा 1/720, मुकेश पुत्र नाथूराम हिस्सा 1/720, किशन पुत्र नाथुराम 1/720, कमलीदेवी पत्नी नाथुराम हिस्सा 1/720, मांगू पुत्र धूला (फौत के कायम मुकाम कालूराम पुत्र हिस्सा 1/30, देवाराम पुत्र मांगू हिस्सा 1/30, रुकमा पुत्री मांगू हिस्सा 1/30, सुन्दरी पत्नी मांगू हिस्सा 1/30, सोहनलाल पुत्र लाबूराम के कायम मुकाम पिन्टू पुत्र सोहनलाल हिस्सा 1/54, हंसराज पुत्र सोहनलाल हिस्सा 1/54, कान्ता पुत्री सोहनलाल हिस्सा 1/54 कौम कुम्हार सा0 देह खातेदार __रहन__ :- सोहनलाल पुत्र लाबूराम, मांगू पुत्र धूला के वारिसान का हिस्सा आर.एम.जी.बी. शाखा निमाज में मुर्त हीन व केलीदेवी पत्नी लाबूराम के वारिसान का हिस्सा आर.एम.जी. बी. शाखा निमाज एवं चम्पालाल पुत्र लाबूराम व मांगीलाल पुत्र लाबूराम का हिस्सा आर.एम. जी.बी. निमाज	83	1.6268	चाही दोयम	5.69

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन स्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में खलल्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं।

नीज.....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 20/06/2024 को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी पोकरण
(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी पोकरण
(जिला जैसलमेर)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	07	– 00	स्टाम्प वकालतनामा	01	– 00
स्टाम्प वकालतनामा	02	– 00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील	/	
महनताना वकील	/		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर	09	– 00	बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा	,		मुत्फरिक		
मिजानः–	18	– 00	मिजानः–	01	– 00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।